

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

2022/137

अज अदालत

बड़ीसादडी वि. विपक्षीय

नाम

सांगीलाल


किस्म मुकदमा

128 R.L.Act

दि

07/2022

सं

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही का रजिस्ट्रियल जफ्त</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
<p>20/5/22</p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बड़ीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा..... सांगीलाल ..... की ग्राम..... सांगीलाल ..... की आ.न. 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675 की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीयों की मौजूदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये 1500/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: center;">               उपखण्ड अधिकारी              बड़ीसादडी         </p>	<p>790 215</p>

